

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 67/2015

पूर्णराम पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर
जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।

2. सुरजाराम पुत्र हरीराम जाति धानका निवासी 23 बीबी तहसील पदमपुर
जिला श्रीगंगानगर -मृतक

2/1 कृष्णलाल पुत्र सुरजाराम जाति धानका निवासी 23 बीबी तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्टान

(2) अपील संख्या 68/2015

पूर्णराम पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर
जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान।

- रेस्पोंडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध आदेश आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त घडसाना

मुकाम अनूपगढ़ 30.06.1982 व 17.07.1982

उपस्थिति:-

श्री बलराम स्वामी अभिभाषक अपीलार्थी।


श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

श्री राजेश गुम्बर अभिभाषक रेस्पों. संख्या 2 अपील संख्या 67/2015

निर्णय

दिनांक 30.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवंटन अधिकारी एवं
सहायक आयुक्त उपनिवेशन घडसाना मुकाम अनूपगढ़ ने अपीलार्थी को दिनांक



30/4/18

18.06.1976 को 25 बीघा भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए दिनांक 03.07.1981 को चक 13 के.डब्ल्यू.एम. की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन को दिनांक 30.06.1982 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवंटी बावजूद सूचना प्राप्त किये कब्जा प्राप्त नहीं किया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांत ने अपील संख्या 68/2015 पेश की है। तत्पश्चात इसी भूमि का आवंटन सुरजाराम पुत्र हरीराम को दिनांक 17.07.1982 को कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील संख्या 67/2015 पेश की है। चूंकि दोनों अपीलों में विवादित भूमि एक ही होने एवं तथ्य समान होने से उभयपक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांत को विवादित भूमि का आवंटन का पात्र मानते हुए किया गया था एवं आवंटन खारिज करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला एवं अपीलांत को आवंटन खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि का आवंटन सुरजाराम को दिनांक 17.07.1982 को कर दिया गया। अपीलांत ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब का माफ करवाने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश किया और निवेदन किया कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार कर आवंटन बहाल करने या अन्य रकबा आवंटन करने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दोनों अपील मियाद बाहर पेश की गई है। मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज योग्य बताया साथ ही कथन किया कि अपीलांत का आवंटन खारिज हाने के पश्चात उक्त रकबा सुरजाराम को आवंटन हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपील के माध्यम


30/6/18


से अपीलान्ट कोई अनुलोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि अपील संख्या 67/2015 मृत व्यक्ति के विरुद्ध पेश की गई है। सुरजाराम का देहान्त दिनांक 02.01.1986 को हो चुका है। इसलिए अपील मृत व्यक्ति के विरुद्ध पेश होने से खरिज योग्य है। अपीलान्ट को आवंटन खारिज होने के पश्चात सुरजाराम को आवंटन का पात्र मानते हुए रकबा राज भूमि का आवंटन किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से दोनों अपीले खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलान्ट द्वारा यह दोनों अपीले आदेश दिनांक 30.06.1982 व 17.07.1982 के विरुद्ध दिनांक 04.5.2015 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा किया गया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.1982 में अंकित किया है कि सार्वजनिक सूचना दैनिक सीमा संदेश के माध्यम से दिनांक 28.05.1982 को जारी करवाई गई, किन्तु समाचार पत्र की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही इस संबंध में आदेशिका में कोई उल्लेख है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को होना संभव नहीं है। अपीलान्ट का आवंटन खारिज करने के पश्चात दिनांक 17.07.1982 को विवादित भूमि का आवंटन सुरजाराम को कर दिया गया जिसकी जानकारी भी सुरजाराम या उसके वारिसान को हुई हो, यह भी पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से साबित नहीं है। अतः न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाना न्यायोचित है।


इस तथ्य बाबत कोई विवाद नहीं है कि अपीलान्ट का आवंटन दिनांक 30.06.1982 को खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि दिनांक 17.07.1982 को सुरजाराम को आवंटन हो चुकी है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा भी नहीं बताया है। इसके अलावा अपीलान्ट ने अपनी अपीलों में अन्य भूमि आवंटन


30/4/18

करने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में अपीलांट सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए चाराजोई कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें खारिज की जाती है। चूंकि अपीलांट को विवादित भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया था। उक्त पात्रता किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त की जानी नहीं पाई जाती है। प्रकरण वैकल्पिक आवंटन का मानते हुए विधि अनुसार अपीलांट की पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


30/4/18
(प्रेमराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर